

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/छात्रवृत्ति/3704/17-18/05

दिनांक:- 28.06.2017

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,**आवश्यक**

विषय :- सत्र 2017-18 की अनुसूचित जाति/जनजाति/घुमन्तु, विमुक्त एवं सीमान्त एरिया अन्य पिछड़ा वर्ग की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रबोधन के संबध में ।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है शैक्षिक सत्र 2017-18 के प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण आरम्भ होने जा रहा है। अतः दिनांक 31-07-2017 तक अनुसूचित जाति/जनजाति/घुमन्तु, विमुक्त एवं सीमान्त एरिया अन्य पिछड़ा वर्ग की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों की नवीनतम स्थिति के आधार पर सही आकंलन कर प्रस्ताव तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 08-08-2017 को संबंधित लिपिक के साथ इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

समानीकरण/एकीकरण के पश्चात जो विद्यालय सैकेण्डरी सैट-अप में चले गये है उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रस्ताव इस संशोधित प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं किया जावें। संशोधित प्रस्तावों का अपने स्तर पर गहन परीक्षण कर लेवे इसमें अन्तर की स्थिति में आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।

शासन के आदेश क्रमांक प.32(1)शिक्षा-2/2000 दिनांक 27-07-10 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में छात्रवृत्ति का भुगतान दो किस्तों में यथा प्रथम किस्त 02 अक्टूबर को व द्वितीय किस्त 15 मार्च को भुगतान की जानी है। आवेदन पत्र लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी का बैंक खाता सख्या (बैंक डायरी की फोटो प्रति) आईएफएससी कोड नं., आधार कार्ड सख्या आदि एवं अन्य पात्रता संबंधी पूर्ण जांच पश्चात ही आवेदन पत्र लेवें ताकि छात्रवृत्ति भुगतान हेतु विपत्र बनाने में असुविधा न होवें एवं नियत समय पर भुगतान हो सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न:- दिशा निर्देश एवं प्रपत्र A, B, C व आवेदन प्रपत्र


(पी.सी. किशन)

I.A.S.


निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

राजस्थान सरकार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ घुमन्तु, विमुक्त एवं सीमान्त एरिया अन्य पिछड़ा वर्ग
योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

आवेदन पत्र

(सत्र 2017-18 की छात्रवृत्ति हेतु)



- 1 छात्र/छात्रा का नाम
- 2 जन्म तिथि (अंको में)
- (शब्दों में)
- 3 पिता का नाम
- 4 माता का नाम
- 5 निवासी
- जिले का नाम
- 6 माता-पिता/संरक्षक की
वार्षिक आय (गत सत्र की)
- 7 माता-पिता/संरक्षक आयकरदता है या नहीं : हाँ/नहीं
- 8 गत उत्तीर्ण की गई कक्षा
- 9 गत उत्तीर्ण कक्षा के प्राप्तांक :

कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत या ग्रेड

- 10 गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम एवं पूरा पता

11 स्थाई पता :

गांव पोस्ट

वाया जिला

मोबाईल नम्बर

12 बैंक खाते का विवरण : बैंक का नाम

खाता संख्या

आईएफएससी कोड

आधार कार्ड संख्या

भामाशाह कार्ड संख्या

माता पिता/सरंक्षक और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि :-

योजना संबंधित सभी नियमों/निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है, जिनका मैं पूर्णतया पालन करूंगा/करूंगी। मेरे द्वारा प्रदत्त तथ्यों (संलग्न दस्तावेजों) में कोई भी गतल पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति विभाग को वापस जमा कराने का वचन देता/देती हूँ। मैं अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

माता पिता/सरंक्षक के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा
पुत्र/पुत्री श्री के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की पूर्ण जाँच कर ली गई है तथा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी तथ्यों से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित हैं एवं उनमें अंकित तथ्य सही है। छात्र/छात्रा को सत्र 2017-18 की छात्रवृत्ति स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

मय मोहर

अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति सत्र 2017-18 हेतु मांग पत्र

प्रपत्र - अ

क्र.स.	जि.शि.अ./ब्लॉक का नाम	सत्र 2017-18 में छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र			निर्धारित अनुसार राशि			कुल शुद्ध मांग
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र 75/- दर	छात्रा 125/- दर	योग	
1	जि.शि.अ.							
2	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
3	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
4	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
5	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
6	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
7	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
8	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
9	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
10	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावों का मेरे द्वारा गहन परीक्षण कर लिया गया है विद्यालय में अध्ययनरत वास्तविक छात्र/छात्राओं से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। प्रस्तावों में सम्मिलित आवेदन पत्रों में कोई भी अपात्र विधार्थी का प्रस्ताव सम्मिलित नहीं है। सभी पात्र विधार्थियों के प्रस्ताव सम्मिलित कर लिये गये हैं। यदि कोई पात्र विधार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रहता है अथवा अपात्र विधार्थी को छात्रवृत्ति दी जाती है एवं प्रस्तावों की मांग राशि में विसंगति रहती है, तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता उत्तरदायी होंगे।

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा

अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति सत्र 2017-18 हेतु मांग पत्र

प्रपत्र - ब

क्र.स.	जि.शि.अ./ब्लॉक का नाम	सत्र 2017-18 में छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र			निर्धारित अनुसार राशि			कुल शुद्ध मांग
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र 75/- दर	छात्रा 125/- दर	योग	
1	जि.शि.अ							
2	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
3	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
4	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
5	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
6	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
7	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
8	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
9	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
10	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावों का मेरे द्वारा गहन परीक्षण कर लिया गया है विद्यालय में अध्ययनरत वास्तविक छात्र/छात्राओं से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। प्रस्तावों में सम्मिलित आवेदन पत्रों में कोई भी अपात्र विधार्थी का प्रस्ताव सम्मिलित नहीं है। सभी पात्र विधार्थियों के प्रस्ताव सम्मिलित कर लिये गये हैं। यदि कोई पात्र विधार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रहता है अथवा अपात्र विधार्थी को छात्रवृत्ति दी जाती है एवं प्रस्तावों की मांग राशि में विसंगति रहती है, तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता उत्तरदायी होंगे।

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा

घुमन्तु विमुक्त एवं सीमान्त एरिया अन्य पिछडा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति सत्र 2017-18 हेतु मांग पत्र

प्रपत्र - स

क्र.स.	जि.शि.अ./ब्लॉक का नाम	सत्र 2017-18 में छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र			निर्धारित अनुसार राशि			कुल शुद्ध मांग
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र 15/- दर	छात्रा 20/- दर	योग	
1	जि.शि.अ							
2	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
3	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
4	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
5	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
6	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
7	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
8	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
9	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							
10	ब्लॉक प्रारं शिक्षा							

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावों का मेरे द्वारा गहन परीक्षण कर लिया गया है विद्यालय में अध्ययनरत वास्तविक छात्र/छात्राओं से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर प्रस्ताव तैयार किये गये है। प्रस्तावों में सम्मिलित आवेदन पत्रों में कोई भी अपात्र विद्यार्थी का प्रस्ताव सम्मिलित नहीं है। सभी पात्र विद्यार्थियों के प्रस्ताव सम्मिलित कर लिये गये है। यदि कोई पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रहता है अथवा अपात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दी जाती है एवं प्रस्तावों की मांग राशि में विसंगति रहती है, तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता उत्तरदायी होंगे।

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा